



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19,

नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

Email add- hcecb@gmail.com

क्रमांक / मु. / तक. / छ.ग.प.सं.म. / 2024

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक / / 2024

कार्यालय आदेश

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की 49वीं बैठक दिनांक 12/08/2021 में लिये गये निर्णय के परिपालन में ऐसे उद्योगों जिनमें कच्चे माल/उत्पाद के परिवहन से डस्ट उत्सर्जन की सम्भावना हो, अर्थात् स्पंज आयरन संयंत्र, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, कोल वॉशरी आदि को जारी सम्मति/सम्मति नवीनीकरण में मेकेनिकली कहर्ड वाहनों से परिवहन हेतु सम्मति/सम्मति नवीनीकरण शर्त की अनिवार्यता में इस बाबत पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 3260/तक. / छ.ग. / प. / सं. / मं. / 2020, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/07/2020 की समाप्ति तिथि अर्थात् दिनांक 13/07/2021 से 02 वर्ष की छूट निम्न शर्त के अधीन प्रदान की गई थी:-

“उद्योगों द्वारा कच्चे माल/उत्पादों का परिवहन तारपोलिन अथवा उपयुक्त मटेरियल से उचित एवं पर्याप्त रूप से ढंककर किया जावे।”

उपरोक्त परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की 54वीं बैठक दिनांक 11/01/2024 में यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्तानुसार मेकेनिकली कहर्ड वाहनों से परिवहन की अनिवार्यता में दिनांक 13/07/2023 से 01 वर्ष अर्थात् दिनांक 12/07/2024 तक की छूट उम्मर वर्णित शर्त के अधीन दी जावे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(छ.ग.)
सदस्य सचिव

पृ. १८१ / मु. / तक. / छ.ग.प.सं.म. / 2024

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 6/3/2024

प्रतिलिपि :-

1. सर्व संबंधित अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर/भिलाई-दुर्ग/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़ अंबिकापुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।।
3. प्रोग्रामर, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। निर्देशित है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाईट में अपलोड करें।
4. नोटिस बोर्ड।

(छ.ग.)
सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल
(छ.ग.) नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)